

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

संख्या-18/विविध-14/2024-

/ पटना-15, दिनांक :-

निदेशक, विधि न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक E-9819, दिनांक 03.01.2025 एवं विधि विभाग का पत्रांक 591 दिनांक 22.01.2025 के आलोक में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका 2.1 के क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों में नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने के निदेश के क्रम में श्री आलोक गुप्ता, विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जल संसाधन विभाग, बिहार, हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(पवन कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

ज्ञापांक :-18/विविध-14/2024-

/ पटना-15, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण एवं प्रबंधन सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-18/विविध-14/2024-

9/14

/ पटना-15, दिनांक :- 23.3.2025

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।